हरियाणा विधान सभा

वीरवार, 26 नवम्बर, 2026 को प्रात: 11.00 बजे विधान भवन, चण्डीगढ़ में हरियाणा विधान सभा के हाल में होने वाली हरियाणा विधान सभा की बैठक की कार्यसूची।

I. शोक प्रस्ताव।

एक मंत्री स्वर्गीय:-

1. श्री फूल चंद मुलाना, भूतपूर्व मंत्री, हरियाणा;
2. श्री सतविन्द्र सिंह, भूतपूर्व सदस्य, हरियाणा विधान सभा;
3. हरियाणा के शहीद;
4. अन्य

के देहावसान का उल्लेख करेंगे।

II. <u>कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट</u>।

(i)	अध्यक्ष	विभिन्न कार्य के संबंध में कार्य सलाहकार समिति द्वारा निश्चित की गई समय सारणी प्रतिवेदित करेंगे।
(ii)	समिति के एक सदस्य	प्रस्ताव करेंगे कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें स्वीकार करता है।

III. <u>नियम 121 के अधीन प्रस्ताव</u>।

एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि वीरवार, 26 नवम्बर, 2026 को अंतिम दो घंटों के दौरान सरकारी कार्य करने के संबंध में प्रस्ताव, जहां तक वह लागू होता है, हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 30 को निलंबित किया जाए।
यह भी	प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 30 को निलंबित किया जाए तथा वीरवार, 26 नवम्बर, 2026 को अंतिम दो घंटों के दौरान सरकारी कार्य किया जाए।

IV. <u>नियम 15 के अधीन प्रस्ताव</u>।

एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम "सभा की बैठकें" के उपबंधों से मुक्त किया जाए।

V. <u>नियम 16 के अधीन प्रस्ताव</u>।

एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी।

VI. <u>सदन की मेज पर रखे जाने वाले/पुन: रखे जाने वाले कागज-पत्र</u>।

1.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 04 /जी.एस.टी-2, दिनांकित 22 अप्रैल, 2026 मेज पर पुन: रखेंगे।

2.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 05 /जी.एस.टी-2, दिनांकित 18 मई, 2026 मेज पर पुन: रखेंगे।
3.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 06/जी.एस.टी-2, दिनांकित 18 मई, 2026 मेज पर पुन: रखेंगे।
4.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 08/जी.एस.टी-2, दिनांकित 22 जुलाई, 2026 मेज पर पुन: रखेंगे।
5.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 11/जी.एस.टी-2, दिनांकित 31 अक्तूबर, 2026 मेज पर रखेंगे।
6.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 12/जी.एस.टी-2, दिनांकित 31 अक्तूबर, 2026 मेज पर रखेंगे।
7.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 13/जी.एस.टी-2, दिनांकित 31 अक्तूबर, 2026 मेज पर रखेंगे।
8.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 14/जी.एस.टी-2, दिनांकित 31 अक्तूबर, 2026 मेज पर रखेंगे।
9.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 15/जी.एस.टी-2, दिनांकित 31 अक्तूबर, 2026 मेज पर रखेंगे।
10.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 16/जी.एस.टी-2, दिनांकित 31 अक्तूबर, 2026 मेज पर रखेंगे।
11.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 17/जी.एस.टी-2, दिनांकित 31 अक्तूबर, 2026 मेज पर रखेंगे।
12.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 18/जी.एस.टी-2, दिनांकित 31 अक्तूबर, 2026 मेज पर रखेंगे।
13.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 19/जी.एस.टी-2, दिनांकित 31 अक्तूबर, 2026 मेज पर रखेंगे।

14.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 20/जी.एस.टी-2, दिनांकित 31 अक्तूबर, 2026 मेज पर रखेंगे।
15.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 21/जी.एस.टी-2, दिनांकित 31 अक्तूबर, 2026 मेज पर रखेंगे।
16.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 22/जी.एस.टी-2, दिनांकित 31 अक्तूबर, 2026 मेज पर रखेंगे।
17.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 23/जी.एस.टी-2, दिनांकित 31 अक्तूबर, 2026 मेज पर रखेंगे।
18.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 24/जी.एस.टी-2, दिनांकित 31 अक्तूबर, 2026 मेज पर रखेंगे।
19.	एक मंत्री	हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1975 की धारा 24 (3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार नगर एवं ग्राम योजना विभाग अधिसूचना संख्या 387/34539/2026 दिनांकित 28 सितम्बर, 2026 मेज पर रखेंगे।
20.	एक मंत्री	कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395(1) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2024-2025 के लिए हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की 28 वीं वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
21.	एक मंत्री	कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395(1) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2021-2022 के लिए हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड की 48 वीं वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।

VII. <u>'नेवा' पोर्टल के माध्यम से विशेषाधिकार समिति की प्रारंभिक रिपोर्टें (1 से 5) प्रस्तुत करना।</u>

VIII. <u>सरकारी संकल्प।</u>

एक मंत्री प्रस्ताव करेंगे- "कि यह सदन हरियाणा की 60 वर्षों की गौरवमयी विकास-यात्रा, विकसित हरियाणा के लक्ष्य की प्राप्ति में जनभागीदारी तथा नागरिकों में संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाने में जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर चर्चा करे।

चण्डीगढ़:
25 नवम्बर, 2026.

डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया, भा. प्र. से,
सचिव।